

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का०आ०सं०—उड़नदस्ता प्रशाखा—46/2016

पटना, दिनांक :- 17/11/19

कार्यालय आदेश - 22

पथ प्रमंडल मोतिहारी अन्तर्गत CMBD कार्य From Km 84.3 to 123.6 (Section Jagiraha to Pashupati Nath Chowk) of S.H.-74 पथ निर्माण कार्यो की उड़दस्ता प्रमंडल संख्या-03 द्वारा जाँचोपरांत समर्पित प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं गुणवत्ता प्रतिवेदन की विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा समीक्षोपरांत उपलब्ध कराये गये अनुसंशा के अनुरूप आलोच्य पथ में पायी गयी त्रुटियों/अनमियतताओं के आलोक में विभागीय पत्रांक-9128(s)we दिनांक-18.10.2017 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री मणिग्रीव, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति:-कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल मोतिहारी, के पत्रांक-शून्य दिनांक-11.12.2017 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी।

2. विभागीय समीक्षा के उपरांत विषयगत पथ कार्य में निम्नांकित त्रुटियाँ पायी गयी :-

- (i) पथ के कि०मी० 84.3 से कि०मी० 85.3 तथा कि०मी० 122वें में BC कार्य की औसत FDD क्रमशः 2.01gm/cc एवं 1.915gm/cc पाया गया। पूरे पथ के लिए FDD 2.00gm/cc पायी गयी, जबकि विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार FDD 2.07gm/cc से कम पाया गया।
- (ii) पथ के 50वें से 86वें कि०मी० एवं 122वें कि०मी० में BC कार्य में Aggregate औसत Oversize क्रमशः 11.7468 प्रतिशत एवं 9.32 प्रतिशत तथा औसत Undersize क्रमशः 0.3387 प्रतिशत एवं 0.902 प्रतिशत पाया गया। पूरे पथ के लिए औसत Oversize-10.53 प्रतिशत औसत Undersize-0.62 प्रतिशत पाया गया, जबकि विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार औसत Oversize-10 प्रतिशत से अधिक पाया गया।
- (iii) पथ के 50वें से 86वें कि०मी० में BC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा क्रमशः 4.37 प्रतिशत & 3.9 प्रतिशत पाया गया। पूरे पथ के लिए औसत अलकतरा की मात्रा 4.14 प्रतिशत पाया गया, जबकि विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार औसत अलकतरा की मात्रा 4.19 प्रतिशत निर्धारित है।

3. वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संदर्भ में श्री मणिग्रीव के द्वारा ऐसा कोई ठोस एवं खंडनयुक्त तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर युक्तिसंगत ढंग से विचार किया जा सके, जिसके फलस्वरूप उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार किये जाने का कोई अवसर प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त प्ररिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के क्रम में श्री मणिग्रीव के द्वारा दिनांक-11.12.2017 को स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के उप नियम-V के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है :-

- (i) दो वार्षिक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

ह०/-

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी प्रशाखा-03), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/2/3/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मणिग्रीव, कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल मोतिहारी, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

454(E)

पटना, दिनांक :- 17/11/19

प्रतिलिपि :-

आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

17/11/19